



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/134

विवि.आरईटी.आरईसी.341/12.01.001/2025-26

05 दिसंबर 2025

सभी बैंक

महोदया/महोदय

सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज - बैंक दर में परिवर्तन

कृपया उपर्युक्त विषय पर हमारे [दिनांक 06 जून 2025 के परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.22/12.01.001/2025-26](#) का संदर्भ लें।

2. जैसा कि [दिनांक 05 दिसंबर 2025 को मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26](#) में घोषित किया गया है, बैंक दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 5.75 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत किया जाता है। तदनुसार, सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं में कमी होने पर सभी दंडात्मक ब्याज दरें, जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं, उन्हें भी निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

बैंक दर से जुड़ी दंडात्मक ब्याज दरें

मद	मौजूदा दर	संशोधित दर (तत्काल प्रभाव से)
आरक्षित आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि के आधार पर)	बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (8.75 प्रतिशत) अथवा बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (10.75 प्रतिशत)	बैंक दर में 3.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (8.50 प्रतिशत) अथवा बैंक दर में 5.0 प्रतिशत अंक जोड़कर (10.50 प्रतिशत)

भवदीय

(मनोरंजन पाट्टी)
मुख्य महाप्रबंधक